पत्रावली आज, वादीनी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पेशी में ली गयी। वादीनी ने प्रा. पत्र में निवेदन किया कि उभय पक्षों में वादीनी एवं प्रतिवादीगण में आपसी राजीनामा हो गया है, वादीनी पक्ष को आगे नहीं चलाना चाहती है, अतः प्रकरण को जरिये विड्रा खारिज करने के आदेश प्रदान करें। वादीनी की पहचान एड. श्री विनोद कुमार पुरोहित ने की। प्रार्थना-पत्र वादीनी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली जरिये विड्राल इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
बीकानेर

सहायक कलक्टर
बीकानेर